<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
देवेन्द्र बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़)
सू.अ.अपील संख्या 417 / 2022</th><th>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>16.01.23</td><td>अपीलार्थी देवेन्द्र जाट पुत्र पेमाराम निवासी ग्राम पदमगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी देवेन्द्र जाट के पिताजी सन 2001 से 2010 तक बी.पी.एल. मे चयनित थे, उसके बाद उन्हें स्टेट बी.पी.एल. में चयनित करने का कारण (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, शेरगढ़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, शेरगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>